तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **भरत बनाम लो.सू.अ.(तहसीलदार जोधपुर)** सू.अ.अ. अपील संख्या 151/2022	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27-06-2022	अपीलार्थी भरत निवासी नवचौकिया, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 01.04..2022 में (1) ग्राम चौपासनी संबंधित दिनांक 01.01.2001 से 31.03.2022 तक हुए नामान्तरकरणों की नकल, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्रांक 337 दिनांक 07.04.2022 के सूचना शुल्क राशि जमा कराने का पत्र जारी किया गया, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी ने अपील में बतलाया कि तहसीलदार ने अपने पत्रांक सू.अ.अ./2022/337 दिनांक 07.04.22 द्वारा प्रार्थी को चाही गई सूचना के लिए 20,220/– रूपये का शुल्क जमा कराने हेतु लिखा है एवं राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार विभाग का हवाला देते हुए सूचित किया है कि लेण्ड रिकॉर्ड निर्धारित राशि अनुसार राजस्व रिकॉर्ड की नकलों की राशि वसूली की जानी है तथा उक्त पत्र दिनांक 27.04.22 को उसे प्राप्त हुआ। अपील में यह भी बतलाया कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने 11.04.2019 को इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रटरीज ऑफ इंडिया बनाम पारस जैन में दिये गये अपने निर्णय के बिन्दु संख्या 12 में स्पष्ट रूप से आदेशित किया है कि " Thus if a candidate seeks information under the provisions of the Right to information, then payment has to be sought under the Rules therein..." अर्थात् सूचना अगर सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत चाही गई है तो शुल्क भी सूचना का अधिकार नियम के तहत ही होगा जो कि दो रूपये प्रति पृष्ठ है। यद्यपि रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार जोधपुर) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई, परन्तु तहसीलदार जोधपुर द्वारा अपीलार्थी/प्रार्थी को अपने पत्रांक/सू.अ.अ/2009/ 337 दिनांक 07.04.22 को एक पत्र (अपील मीमों के संलग्न) में राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार विभाग (सू.अ.अ) कमांक /प.20 (84)प्रकसू.अ.अ./2009/पार्ट जयपुर, दिनांक 12.10.2018 के अनुसार लेण्ड रिकॉर्ड में निर्धारित राशि अनुसार राजस्व रिकॉर्ड की नकलों की राशि वसूल की जानी कहते हुए कुल 20,220/– रूपये जमा कराने को कहा गया। प्रशासनिक सुधार विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) द्वारा जारी परिपत्र कमांक प. 20(84)/प्रसु/सूअप्र/2009 पार्ट जयपुर दिनांक 12.10.2018 के अनुसार विभाग द्वारा विधि विभाग से राय प्राप्त की गई। विधि विभाग द्वारा निम्न राय प्रदान की गई। 'यदि किसी विशेष अधिनियम में दस्तावेजों की प्रतिलिपि लेने अथवा निरीक्षण हेतु कोई विशेष शुल्क निर्धारित है तो ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेजों की प्रतिलिपि लेने अथवा उनके निरीक्षण हेतु फीस होने के संबंध में अधिनियम, 2005 लगातार...	

के प्रावधान लागू न होकर उक्त विशेष अधिनियम के प्रावधान लागू होगें ।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के दृष्टांश की प्रति अपील के साथ प्रस्तुत नहीं हुई। चूंकि सूचना का अधिकार अधिनियम में दी जाने वाली सूचना के लिए शुल्क का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा ही तय किया गया। अतः राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग (सू.अ.अ.) कमांक/प.20 (84)प्रकसू.अ. अ./2009/पार्ट जयपुर, दिनांक 12.10.2018 के परिपत्र की अनुपालना में तहसीलदार ने अपीलार्थी/प्रार्थी से राजस्थान लेण्ड रिकॉर्ड रूल्स के तहत निर्धारित शुल्क राशि जमा कराने को कहा गया, वो उचित प्रतीत होता है तथा तहसीलदार जोधपुर ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक स्टेज पर निस्तारण सही ढंग से ही किया गया अतः अपीलार्थी की अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य है, जो निरस्त की जाती है। अपीलार्थी/प्रार्थी अब भी चाही गई सूचना प्राप्त करने के लिए गंभीर है तो तहसीलदार जोधपुर द्वारा चाहा गया सूचना शुल्क जमा कराकर प्राप्त कर सकता है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।